राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःपं.30 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 301 दिनांक :– 04/05/2022

–:: कार्यालय आदेश ::–

Imperial College of Paramedical Sciences, Machwa, Main Kalwar Road, Machwa, Jaipur की और से श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने आप को संस्थान का सचिव बताते हुये इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 215 दिनांक 23.03.2022 की अनुपालना में शपथ पत्र दिनांक 30.03.2022 को प्रस्तुत किया। शपथ पत्र में वर्णित किया गया है कि मै राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री स्वं. बंशीधर चौधरी आयु 31 वर्ष जाति जाट निवासी फगोडिया वाला अजमेर रोड जयपुर, मोबाइल नं. 9829733794 संस्थान Imperial College Of Paramedical Sciences, Machwa, Main Kalwar Road, Machwa, Jaipur के सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हूँ एवं सशपथ बयान करता हुं कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1) A के प्रावधानों की अनुपालना में स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट कर लिया है / वर्तमान में स्वंय के स्वामित्व के भवन में संचालित है।

उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्यो को दस्तावेजो से प्रमाणित करने हेतु सचिव एवं अध्यक्ष को पत्र क्रमांक 269 दिनांक 18.04.2022 प्रेषित कर दिनांक 20.04.2022 को प्रातः 11:00 बजे व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

ट्रस्ट के सचिव एवं अध्यक्ष उपस्थित हुये तथा श्री राजेन्द्र चौधरी द्वारा इण्डिया हैल्थ ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत कर अवलोकन करवाया गया जिसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी को ट्रस्ट का सचिव वर्णित किया गया था। श्री राजेन्द्र चौधरी से जानकारी की गई कि आपने अपने आप को संस्थान Imperial College of Paramedical Sciences, Machwa, Main Kalwar Road, Machwa, Jaipur का सचिव व्यक्त करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि दस्तावेजी प्रमाण में श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी को ट्रस्ट का सचिव होना व्यक्त है। इसके उपरान्त दिनांक 02.05.2022 को सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी द्वारा इण्डिया हैल्थ ट्रस्ट ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष पुनः उपस्थित होकर लिखित में स्पष्टीकरण पेश करते हुये निवेदन किया है कि आरपीएमसी एक्ट में स्वय के भवन की कोई परिभाषा अंकित नही है। अतः जारी नोटिस ड्रोप कर शैक्षणिक सत्र 2021–22 मे छात्र आवंटित करने का निवेदन किया है।

संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं सचिव एवं अध्यक्ष ट्रस्ट को व्यक्तिगत सुनने के उपरान्त निष्कर्ष निकलता है कि अध्यक्ष की स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र चौधरी को संस्थान की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत माना जा सकता है।

संस्थान से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014, 2015 के Part XV Rule 53 (1) A के प्रावधानों की अनुपालना में स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट कर लिया गया है, के दस्तावेजी प्रमाण चाहे गये। स्वरूप श्री राजेन्द्र चौधरी अध्यक्ष श्री डॉ. एन.बी. राजोरिया ने एक विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2020 की प्रति अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई।

विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त के पृष्ठ संख्या 3 का अंतिम पैरा एवं पृष्ठ संख्या 4 का प्रथम पैरा निम्न प्रकार है:–

"यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितीयपक्ष क्रेता से विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि 10,51,51,000/– रूपये अक्षरे दस करोड इक्यावन लाख इक्यावन हजार रूपये निम्न चैको द्वारा प्राप्त कर लिये है :–

चैक नम्बर	बैंक का नाम	राशि	दिनांक
	ऐयू स्माल फाईनेन्स बैंक शाखा अम्बाबाडी, जयपुर।	5,25,75,500/–	18.12.2020
	ऐयू स्माल फाईनेन्स बैंक शाखा अम्बाबाडी, जयपुर।	5,25,75,500/–	18.12.2020

उक्त चैको का भुगतान होने पर ही प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के हित में विक्रय पत्र तस्दीक करवाया जावेगा।"

सचिव एवं अध्यक्ष से यह जानकारी चाही गई कि उक्त पैराओ में वर्णित तथ्यो की पालना में क्या चैको की राशि का ट्रस्ट द्वारा भुगतान किया जा चुका है एवं विक्रेता श्री राजेन्द्र द्वारा चैको की राशि का भुगतान प्राप्त किया जाकर विक्रय पत्र तस्दीक (रजिस्टर्ड) करा दिया गया है ? इस पर सचिव एवं अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चैको के भुगतान एवं प्राप्ति का विषय विक्रेता एवं क्रेता का व्यक्तिगत मामला है, तथा उक्त ने स्वीकार किया कि तथाकथित विक्रय पत्र में अंकितानुसार विक्रय पत्र अभी तक तस्दीक (रजिस्टर्ड) नहीं कराया गया है।

संस्थान द्वारा इस कार्यालय से जारी पता परिवर्तन पत्र क्रमांक 03 दिनांक 05.01.2021 प्रस्तुत किया तथा इससे संस्थान का स्वंय को भवन में स्थानान्तरित होना माने जाने का निवेदन किया।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

संस्थान की स्वंय के भूमि हेतु क्रय विक्रय किये जाने के संबंध में सचिव एवं अध्यक्ष का यह कहना कि संस्थान के लिए क्रय की जाने वाली भूमि का ट्रस्ट द्वारा भुगतान किया जाना एवं विक्रेता द्वारा विक्रय मूल्य प्राप्त करना विक्रेता एवं क्रेता का व्यक्तिगत मामला है यह कहना न्याय संगत नहीं है, इसके अतिरिक्त उक्त ने ट्रस्ट का ऐसा कोई लेखा जोखा भी प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त भूमि को क्रय करने की एवज में ट्रस्ट के संसाधनो से भुगतान किया गया है।

संस्थान हेतु ट्रस्ट द्वारा भूमि को क्रय किया जाने को प्रमाणित करने का भार संस्थान/ट्रस्ट का है, उक्त के द्वारा जो तथाकथित विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में विक्रयपत्र न होकर मात्र भूमि के क्रय विक्रय का करार (Agreement) मात्र है, उक्त करार (Agreement) के अनुसरण में तथाकथित विक्रेता जो कि ट्रस्ट के सचिव भी वर्णित किये गये है, तथा क्रेता जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष है दोनो ही उक्त भूमि के क्रय–विक्रय को तथाकथित विक्रय पत्र से प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

जहां तक संस्थान द्वारा इस कार्यालय से जारी पता परिवर्तन संबंधी पत्र क्रमांक 03 दिनांक 05.01.2021 को संस्थान की स्वंय की भूमि/भवन के रूप में प्रमाणित दस्तावेज के रूप में पेश किये जाने का प्रश्न है वह भी इस संबंध में संस्थान की कोई मदद नहीं करता है, क्योकि संस्थान ने एक पत्र क्रमांक 116 दिनांक 10.12.2020 को संस्थान के पता परिवर्तन करने हेतु प्रेषित किया जिस पर इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त पत्र से संस्थान के पते मात्र को परिवर्तित किया गया है न कि स्वामित्व। यहां यह भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि/भवन को संस्थान ने अपना स्वंय का बताते हुए उक्त भूमि के संबंध में तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2020 प्रेषित किया जबकि उसके पश्चात दिनांक 21.12.2020 को तथाकथित विक्रय पत्र बनवाया गया, जिसके अनुसरण में आज दिनांक तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई जिससे यह प्रमाणित है कि उपरोक्त वर्णित तथाकथित विक्रय पत्र मात्र गुमराह करने के आशय से तैयार कराया गया।

अतः संस्थान मान्यता प्राप्ति के पॉच वर्ष पश्चात स्वंय के भवन में स्थानान्तरित होने में असफल रहते हुए राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014, 2015 के Part XV Rule 53 (1) A का उल्लघंन किये जाने के कारण संस्थान का आगामी वर्षो में संचालन किया जाना छात्र हित में नहीं होने के कारण राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 29 की शक्तियो का प्रयोग करते हुये **Imperial College of Paramedical Sciences, Machwa, Main Kalwar Road, Machwa, Jaipur** को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6353 दिनांक 10.12.2015 से **Diploma in Medical Lab. Technology, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in Orthopaedic Technology Diploma in ECG Technology Diploma in Endoscopy Technology, Diploma in EEG Technology, Diploma in Opthalmic Technology,** हेतु दी गई मान्यता आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 से तुरन्त प्रभाव से वापिस ली जाती है।

परन्तु शैक्षणिक सत्र 2021–22 से पूर्व प्रवेश प्राप्ति के उपरान्त अध्ययनरत छात्रो की असुविधा एवं छात्रहित को मध्येनजर रखते हुये सत्र 2021–22 से पूर्व प्रवेशित छात्रो को उनके डिप्लोमा पूर्ण करने तक अध्ययन, अध्यापन कराने की संस्थान को पूर्व की भाँति अनुमति होगी।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपं. 30/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2022/301 दिनांकः– 04/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव/अध्यक्ष, इण्डिया हैल्थ ट्रस्ट इम्पिरीयल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज माचवा, मेन कालवाड रोड माचवा जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, इम्पिरीयल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज माचवा, मेन कालवाड रोड माचवा जयपुर।
3. लेखा/मान्यता/काउन्सलिंग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार